# छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर

क्रमांक एफ–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नया रायपुर दिनांक

## पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा–2017 हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–1–119/2015/सात–4, नया रायपुर दिनांक 26.10.2016 के अनुसार राज्य के 27 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 1085 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्ड़ल रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर दिनांक 18.11.2016 (शुक्रवार) से आमंत्रित किये जाते है। कोई भी अभ्यर्थी केवल उसी जिले के रिक्त पदों के विरूद्ध आवेदन कर सकेगा, जिस जिले का वह स्थानीय निवासी हो। इस प्रयोजन हेतु आवेदक को उसी जिले का स्थानीय निवासी माना जावेगा, जिस जिले का उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक को जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में किया गया हो ।

2. **परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | परीक्षा की तिथि | – 08 जनवरी 2017 (रविवार) |
| **2.** | परीक्षा का समय | – पूर्वान्ह 10:00 से 01:15 बजे तक |
| **3.** | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | – 18.11.2016 (शुक्रवार) |
| | ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि | – 07.12.2016 (बुधवार), रात्रि 11:59 बजे तक |
| | ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेत SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि | – 08.12.2016 (गुरूवार), सायं 5:00 बजे तक |
| | ऑफलाइन (SBI Bank) से प्राप्त चालान द्वारा भुगतान की अंतिम तिथि | – 09.12.2016 (शुक्रवार) बैंक के कार्यालयीन समय तक |
| **4.** | परीक्षा केन्द्र : | – प्रदेश के 27 जिलों में |
| **5.** | **परीक्षा शुल्क :** | |

**परीक्षा शुल्क निम्नानुसार देय होगा**

| | |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | – 350/– |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | – 250/– |
| अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति | – 200/– |

**6.** **पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जाएंगे ।**

## 3. पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु 1085 अभ्यर्थियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र | जिले का नाम | अनारक्षित | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग |
| 1 | रायपुर | 20 | 10 | 30 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30 | 15 | 45 |
| 2 | महासमुन्द | 13 | 5 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 27 | 12 | 39 |
| 3 | धमतरी | 13 | 6 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 23 | 12 | 35 |
| 4 | बलौदाबाजार – भाटापारा | 17 | 7 | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 7 | 22 | 42 | 18 | 60 |
| 5 | गरियाबंद | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13 | 7 | 20 |
| 6 | दुर्ग | 15 | 6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 10 | 32 |
| 7 | बालोद | 16 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 19 | 37 | 13 | 50 |
| 8 | बेमेतरा | 12 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 25 |
| 9 | राजनांदगांव | 43 | 19 | 62 | 12 | 5 | 17 | 9 | 4 | 13 | 24 | 10 | 34 | 88 | 38 | 126 |
| 10 | कबीरधाम | 16 | 8 | 24 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 32 | 15 | 47 |
| 11 | बस्तर | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 17 | 8 | 25 |
| 12 | कोण्डागांव | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 21 | 22 | 8 | 30 |
| 13 | उत्तर बस्तर – कांकेर | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 21 | 9 | 30 |
| 14 | दक्षिण बस्तर – दन्तेवाड़ा | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 13 | 7 | 20 |
| 15 | बीजापुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 |
| 16 | सुकमा | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 29 | 25 | 10 | 35 |
| 17 | नारायणपुर | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 24 | 24 | 10 | 34 |
| 18 | बिलासपुर | 17 | 7 | 24 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 4 | 13 | 40 | 17 | 57 |
| 19 | मुंगेली | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 9 | 30 |
| 20 | कोरबा | 12 | 5 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 20 | 33 | 14 | 47 |
| 21 | जांजगीर–चांपा | 31 | 13 | 44 | 8 | 4 | 12 | 14 | 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 60 | 26 | 86 |
| 22 | रायगढ़ | 12 | 6 | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 18 | 32 | 18 | 50 |
| 23 | सरगुजा | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 23 | 9 | 32 |
| 24 | सूरजपुर | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 30 |
| 25 | बलरामपुर – रामानुजगंज | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 26 | जशपुर | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 17 | 8 | 25 |
| 27 | कोरिया | 12 | 5 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 22 | 35 | 15 | 50 |
| **योगः–** | | 298 | 129 | 427 | 98 | 45 | 143 | 86 | 37 | 123 | 272 | 120 | 392 | 754 | 331 | 1085 |

टीपः—

**(1) जिन जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है, उन जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी के लिये मान्य किया जावेगा।**

**(2) भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य वर्गों को शासकीय सेवा में दिया जाने वाला आरक्षण/अन्य लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ भू—अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए दिया जावेगा ।**

**(3) छ.ग.शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ—1—21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितंबर 2014 के प्रावधानानुसार तृतीय श्रेणी में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये चिन्हांकित किये गये पदों की सूची के सरल क्रमांक 148 मे 'पटवारी' पद को चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य होने के कारण निःशक्तता अमान्य किये जाने के कारण विज्ञापित पदों हेतु दिव्यांग (निःशक्तजन) पात्र नहीं होंगे।**

**4.** विज्ञापित पदों पर चयन/ नियुक्तियॉ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटि. क्रंमाक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

**5. पटवारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता :—**

(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) शासकीय/अर्द्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अर्हता होना चाहिये।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 01 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति ।

**कम्प्यूटर अर्हता हेतु निम्नांकित को ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—9—4/2015/1/3 दिनांक 23.01.2015 के अनुसार मान्यता है :—**

(1) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेन्ट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।

(2) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईन्स/इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)

(3) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईन्स/ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा अथवा स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।

(4) DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

परन्तु अधिसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु 01 वर्ष की छूट की पात्रता होगी।

**6.** **वेतनमान–** 5200–20200, ग्रेड वेतन 2200/– इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर देय होगा।

**7.** **आयु सीमा** – दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, किन्तु किसी भी दशा में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**8.** **निर्देश तथा शर्तें –**

1. आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा ।

2. जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है ।

3. रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करने का अधिकार नियोक्ता का होगा ।

4. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/प्रमाण पत्र, हायर सेकेन्ड्री स्कूल की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र, (शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को छो़डकर), कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां प्रशिक्षण हेतु चयन उपरांत सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

5. ऑनलाइन दर्ज किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

   आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सैम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें। असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता और चयन किसी भी स्तर पर निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

6. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा एवं कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक संतान है, जिनमें किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् जुड़वा संतान पैदा हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

7. छ.ग. लोक सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार विज्ञापित पदों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

8. चयनित अभ्यर्थियो को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।

9. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

10. लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जावेगा।

11. यह चयन पूर्णतः अस्थायी है, अतएव चयन की निर्धारित शर्तो का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत उनकी नियुक्ति 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

12. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

13. विज्ञापन की कंडिका–5 में पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्ति के उपरांत देय होगा।

14. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रिक (कार्यपालिका एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 में पटवारी पद पर चयन हेतु उल्लेखित शर्तो की पूर्ति की जाने पर ही नियुक्ति की पात्रता होगी।

**9. परीक्षा पद्धति :** इस परीक्षा में सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

**10. मूल्यांकन पद्धति :** प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (–) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिऐ शून्य (**zero**) अंक प्रदान किये जायेंगे।

11. **चयन प्रक्रिया** : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची, वर्गवार (OBC, SC, ST, Female, Ex Seciceman) प्रावीण्य सूची विभाग को सौंपी जायेगी, जिसके आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् पात्र पाये जाने पर नियोक्ता द्वारा चयन की कार्यवाही की जावेगी ।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है ।

**सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग